


04.01.18

पत्रा. पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगाई गई किन्तु वाहीगण असाक्षर या
अकालतन उपस्थित नहीं आये। अतः शर्चना पत्र
अदम हाजरी व अदम चैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम है
एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।


सहायक कलेक्टर
सदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी (स०मा०)